दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समयः तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (J-A)–M–**GSM (M-I)-2202**

अधिकतम अंकः 250
Maximum Marks: 250

Name: हेमेन्द्र सिंह

Mobile Number: ____________

Medium (English/Hindi): ____________

Reg. Number: ____________

Center & Date: ____________

UPSC Roll No. *(If allotted)*: ____________

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

---

[1] प्रश्न सं० [9],[10] का संदर्भ से निष्कर्ष का भटकाव, प्रश्न संख्या [16], [18], [19], [20] की संदर्भ दक्षता प्रभावशील और अन्य प्रश्नो की संदर्भ दक्षता अच्छी है।

[2] प्र० सं० [13], [9], [14] का परिचय और सटीक किया जा सकता है, परिचय दक्षता अच्छी है।

[3] प्र० सं० [5], [6], [7], [8], [16], [18], [19], [20] की विषय-वस्तु दक्षता प्रभावी है

[4] भाषा व प्रवाह अच्छा है।

[5] प्रश्न सं० [1], [2] के निष्कर्ष को संदर्भ के अनुसार सटीक किया जा सकता है, प्रश्न सं० [16], [18], [19], [20] की निष्कर्ष दक्षता प्रभावशील एवं अच्छा विश्लेषण है।

[6] प्रश्न सं० [6], [8], [13], [15], [16], [18], [19], [20] का प्रस्तुतिकरण प्रभावी है।

[7] सभी प्रश्नो के प्रयास अच्छे है, आप एक बहुत अच्छे उत्तर लेखन शैली की ओर अग्रसर है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1. भारत में नियामक निकायों के कामकाज को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? उन तरीकों के बारे में बताइये जिनसे इन्हें संबोधित किया जा सकता है? (150 शब्द) 10

What are the challenges affecting the functioning of regulatory bodies in India. Enumerate ways in which these can be addressed? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नियामक निकायो से तात्पर्य ऐसे निकायो से है जो संबंधित क्षेत्र विशेष मे कार्यरत सार्वजनिक, निजी संगठनो के कार्यकरण का निरीक्षण, मूल्यांकन करने का कार्य करते है। e.g. सेबी, R.B.I. आदि

परिचय अच्छा है

नियामक निकायो के उद्देश्य
- जनहित को संरक्षित करना।
- निष्पक्षता व समतापूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करना।

कामकाज को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ
- स्पष्ट व पारदर्शी सिद्धांतो का अभाव होना।
- सरकार की तरफ झुकाव होना।
- विभिन्न नियामक निकायो मे टकराव होना। जैसे- 'U.L.I.P.' को लेकर IRDAI और SEBI के मध्य।
- कई बार अत्यधिक नियंत्रण प्रदर्शित करना।
- पर्याप्त स्वायत्ता का अभाव।

आवश्यक बिन्दुओं का समावेशन

संसाधनों व कर्मचारियों की कमी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

समाधान

- नियामक निकायों के कार्यप्रणाली के संदर्भ में स्पष्टता लाना जिसमे इनके शक्ति, कार्यों, दायित्वों, स्वायत्तता को संरक्षित किया गया हो।
- विभिन्न नियामक निकायों के मध्य टकराव के होने पर स्पष्टीकरण हेतु एक तंत्र की स्थापना करना। जैसे - वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जिसमे विभिन्न नियामको का प्रतिनिधित्व है।
- इनके कार्यकरण में निष्पक्षता, सरकारी व निजी संगठनों दोनों के प्रति समतापूर्ण व्यवहार का समावेश करना। आदि।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पश्चात विभिन्न संगठनों की उपस्थिति होने से जनहित संरक्षण में नियामक निकायों की महती भूमिका है। इसलिए इनके सशक्तीकरण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

5.5

Good

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. न्यायेत्तर हत्याओं (Extra-judicial Killings) के कारणों की पहचान कीजिये और उन उपायों पर चर्चा कीजिये जिनकी मदद से इन्हें रोका जा सके। (150 शब्द) 10

Identify the reasons behind extra-judicial killings and discuss the measures that are required to be taken. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायेत्तर हत्याओं से तात्पर्य वैसी हत्याओं से है जिसमें न्यायिक प्रणाली की अवहेलना की जाती है। जैसे - हिरासत में मौतें, एनकाउंटर आदि।

परिभाषा अच्छा

कारण – कानूनी प्रक्रियाओं में विभिन्न खामियां

- शीघ्र न्याय को करने हेतु। उदा - रेप आरोपितो का एनकाउंटर
- **सामाजिक कारण** – दलित व जनजातियों के प्रति संकीर्ण मानसिकता के कारण।
- राजनीतिक – जनता के दबाव में।
- पुलिस की निरंकुशता को बनाए रखने हेतु। उदा॰ राष्ट्रीय पुलिस आयोग अनुरूप 60% गिरफ्तारियाँ अनावश्यक थी।

महत्वपूर्ण बिन्दुओं की उपस्थिति

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

उपाय

- 'UN' के अभिसमय को विधिक रूप प्रदान किया जाए।
- मानवाधिकार आयोगों को अधिक सशक्त किया जाए।
- पुलिस व काउंसलिंग तंत्र को प्रभावी व दक्ष बनाया जाए ताकि समय पर न्याय सुनिश्चित हो। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए।
- 'I.C.T.' के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- 'विधि के शासन' के प्रवर्तन पर बल दिया जाए।

समय से पूर्व और समय पश्चात न्याय होना ही अन्याय के समान है इसलिए समयबद्ध न्यायप्रणाली को सुनिश्चित कर न्यायेतर हत्याओं को रोकने की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए।

(Examiner's note) 5

(Examiner's note) Good

(Examiner's note) निष्कर्ष को संदर्भ के अनुरूप और प्रभावी किया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

3. समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिये इसकी प्रासंगिकता और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

What do you understand by the Uniform Civil Code? Examine its relevance for a secular country like India and challenges in its implementation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

समान नागरिक संहिता से तात्पर्य ऐसी संहिता से है जो नागरिकों के विवाद, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, गोद लेने के अधिकार आदि को विनियमित करती है।

(Examiner's note) परिभाषा और सटीक प्रभावी हो सकती है।

प्रासंगिकता

- यह 'एक देश, एक विधान' को नागरिक मामलों (व्यक्तिगत) में लागू करती है।
- यह 'व्यक्ति' को महत्व प्रदान कर सभी के लिए समानता को बढ़ावा देती है।
- एक सभ्य व संगठित लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- विविधतापूर्ण समाज का होना जिसमें प्रत्येक के व्यक्तिगत कानून है।
- अनु०-29 — वर्गों को अपनी संस्कृति, प्रथाओं को बनाए रखने का अधिकार देता है।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धार्मिक संगठनों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार
- लोगों में शिक्षा, जागरूकता का स्तर निम्न होना। जनजातीय प्रथा

4.5

विधि आयोग द्वारा यद्यपि समान नागरिक संहिता को अपनाने का सुझाव दिया गया था। हालाँकि अब विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनके और संवैधानिक मूल्यों में विरोधाभास को न्यायिक निर्वचनों से दूर किया जा सके। इसके पश्चात ही शिक्षा, जागरूकता के स्तर के बढ़ने के पश्चात समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. अन्य कारणों के अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियों ने निचली न्यायपालिका में रिक्तियों में योगदान दिया है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

Systemic flaws in the appointment process among other reasons have contributed to vacancies in the lower judiciary. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

समय पर न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में न्यायिक रिक्तियाँ एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है जिससे इनकी भूमिका और अधिक बढ़ जाती है।

— परिचय अच्छा है।

नियुक्ति प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियाँ।

— भर्ती प्रक्रिया में देरी
- नियुक्ति प्रक्रिया का अनियमित संचालन
- जटिल प्रक्रिया
- समन्वय की समस्या

- **अधीनस्थ न्यायपालिका** — लोक सेवा आयोग, हाइकोर्ट की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। परंतु समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया का अभाव, भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगना आदि।
  - राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्तियां होती है
- **उच्च व सर्वोच्च न्यायालय** — कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर न्यायपालिका और सरकार के मध्य एकजुटता का अभाव है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

प्रश्न में निचली न्यायपालिका पर चर्चा करनी है।

समाधान

- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए।
- उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों में नियुक्ति हेतु एक वृहत्तर कॉलेजियम जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, सामाजिक व्यक्ति, उपराष्ट्रपति आदि का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका के प्रतिनिधित्व के साथ हो।

निचली अदालत

- समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करना। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को शीघ्र ही क्रियान्वित करने की दिशा में बढ़ना।
- लैंगिक समावेशिता, वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व को न्यायपालिका में बढ़ाना। आदि।

3

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

5. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के साथ, संसद ने सहकारी संघवाद के ताने-बाने को हिला दिया है। संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

With the Citizenship (Amendment) Act 2019, the Parliament has shaken the fabric of cooperative federalism. Discuss the statement with reference to the rights and obligations of the States against a law passed by the Parliament. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सहकारी संघवाद से तात्पर्य संघवाद के उस प्रारूप से है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोगपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देकर जनहितों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है।

संसद द्वारा संघ सूची के विषय नागरिकता पर विधि निर्माण नागरिकता (संशो०) अधि० 2019 को पारित किया गया जिस पर विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रतिक्रिया की गई। जैसे- केरल विधान सभा। वहीं कुछ राज्यों द्वारा 'अनु०-131' के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। जैसे- छत्तीसगढ़।

इन बिन्दुओं से संघवाद की भावना पर प्रभाव पड़ा, यह स्पष्टता से जोड़ सकते हैं।

Good

संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध राज्यों के अधिकार

⇒ संघ व समवर्ती सूची के संदर्भ

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सभी अनु० व प्रावधानों का उल्लेख प्रभावशील है।

मे केंद्रीय विधानों को सर्वोच्चता प्राप्त है।

⇒ राज्यों द्वारा नागरिकों के प्रतिनिधि सभा के रूप मे विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया।

⇒ वहीं राज्य के नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होने की दशा मे राज्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया गया।

दायित्व

⇒ अनु०-256 के अनुरूप राज्यों को केंद्रीय विधानों के अनुरूप विधान निर्माण अथवा क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

⇒ अनु०-254 समवर्ती सूची विषयों मे केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता को संरक्षित करता है।

⇒ यदि राज्य केन्द्र के निर्देशों की पालना नहीं करते है तो केन्द्र निर्देशना कोर्ट से मांग करता है अथवा राज्य सरकारों को अनु०-356 के तहत बर्खास्त भी कर सकता है।

5.5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. भारतीय संविधान में किये गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

Discuss the relation between the President and the Council of Ministers as provided for in the Indian Constitution.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संसदीय शासन प्रणाली

- नाममात्र की कार्यपालिका → राष्ट्रपति
- वास्तविक कार्यपालिका → मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री

→ संबंध के संवैधानिक प्रावधान

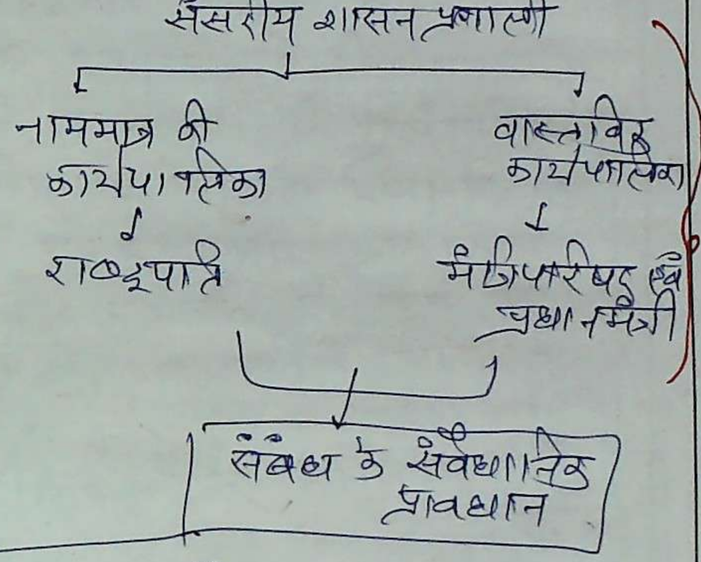

परिचय अच्छा है।

अनु०-53 और 74 के अनुसार संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति मे निहित होगी जिनका स्वयं वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों मे सलाह एवं सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगी। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुरूप कार्य करेगा यद्यपि एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सकेगा। परंतु पुनः मंत्री सलाह पर पुनः विचार करना बाध्यकारी है।

- अनु० 75 के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और ~~उसकी~~ प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री के चाहने पर व्यक्तिगत रूप से किसी एक मंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद के पास ~~एक~~ लोकसभा का समर्थन नहीं है तो उसे बर्खास्त कर सकता है।
- अनु०-77 → संघ के शासन संचालन हेतु नियमों का निर्माण करेगा। जैसे- कार्यसंचालन नियम।
- अनु०-78 → राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने या स्वयं से प्रधानमंत्री शासन कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। ऐसे विषय जिस पर किसी मंत्री ने विचारण किया है को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार की अपेक्षा राष्ट्रपति कर सकेगा।

आवश्यक बिन्दुओं का समावेशन

5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

7. भारत में न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिये। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भारत में न्याय वितरण की स्थिति में सुधार करने में कैसे मदद कर सकता है? (150 शब्द) 10

Discuss the various issues plaguing the judicial system in India. How alternate dispute resolution mechanisms can help improve the status of justice delivery in India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

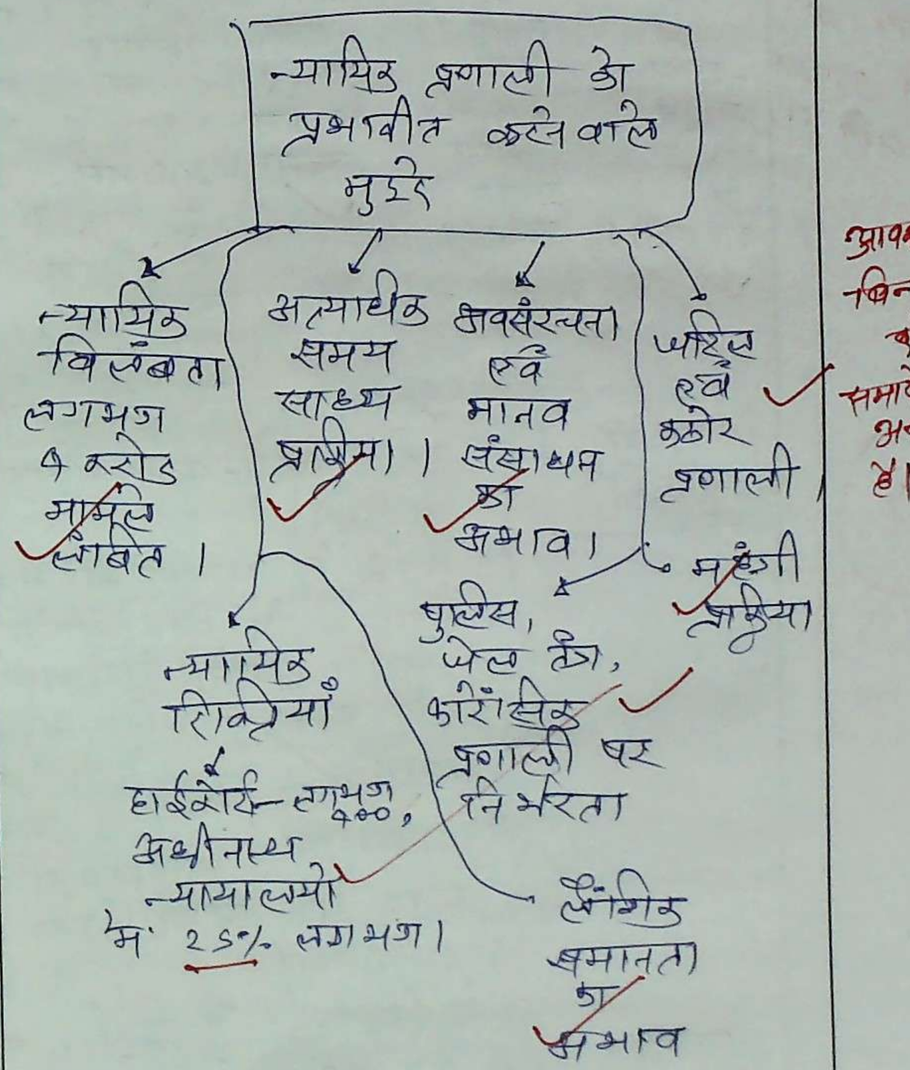

आवश्यक बिन्दुओं का समावेशन अच्छा है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र द्वारा सहायता

- शीघ्र न्याय प्रदान करने में सहायता।
- सहयोग-पूर्ण रूप में न्याय प्रदान करना।
- न्यायिक विलंबता को कम करना।
- रियायती व्यय आदि के माध्यम से रिश्तों की समस्या का समाधान।
- सस्ती व सरल प्रक्रिया होना।

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संक्षिप्त परिचय व इसके उदाहरण दे सकते हैं।

5

ADR में चुनौती

- प्रत्येक मामले में उपयुक्त नहीं, जैसे- आपराधिक मामलों में।
- ADR के पश्चात भी मामले अदालत में जा सकते हैं (विवाद पूर्णतः समाधान नहीं हो पाता है।) (लोक अदालत के अलावा)
- मध्यस्थता पेशेवरों, प्रक्रियाओं का अभाव, जागरूकता का स्तर भी निम्न होना। आदि

वादों (cases) के प्रकारों के अनुरूप ADR को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे- वाणिज्यिक मामले आदि।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

8. भारत में सुशासन की कुछ प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिये। इन बाधाओं से संकेत लेते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सुशासन से तात्पर्य ऐसी शासन प्रणाली से है जो इसके नागरिकों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और उनमें वृद्धि करने में अधिकतम सहयोग प्रदान करती है।

परिचय अच्छा है।

सुशासन के तत्व

- जवाबदेयता
- प्रभावशीलता, दक्षता
- पारदर्शिता
- विधि का शासन
- नागरिक-उन्मुखता
- समावेशिता
- भागीदारी
- प्रतिक्रियाशीलता

प्रस्तुतीकरण प्रभावशील है।

सुशासन के स्तंभ

- नैतिकता
- समानता
- दक्षता एवं प्रभावशीलता
- लोकाचार

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

बाधाएँ

- जन-जागरूकता का अभाव।
- भ्रष्ट प्रथाएँ।
- अधिकारीयों का औपनिवेशिक शासक का दृष्टिकोण।
- सत्तावादी राजनीति।
- भागीदारी का स्तर निम्न होना।
- जातीयों, धर्मों, लैंगिक समावेशिता का अभाव। आदि।

आवश्यक सभी बिन्दुओं और आयामों प्रभावशील प्रस्तुतिकरण

good.

5.5

सुशासन के लिए पूर्व-शर्तें

- जनता को सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा को सुनिश्चित किया जाए।
- अधिकारीयो का व्यवहार परिवर्तन अर्थात् 'शासक' से 'सेवक' का दृष्टिकोण
- न्यायिक स्वतंत्र व विधि का शासन।
- नागरिक केंद्रीयता शासन का आधार होना।
- व्यक्ति के मूल अधिकारो, गरिमा का संरक्षण हो।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तक प्रभावी पहुंच होना। आदि।
- चुनावी सुधार, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

9. सामाजिक लेखापरीक्षा आदर्श और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में मदद करती है। इस कथन की विवेचना कीजिये और भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा के संस्थानीकरण में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Social audit helps to narrow gaps between vision and reality". Examine the statement and also discuss the impediments in the institutionalization of social audit in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सामाजिक लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखा परीक्षा के उस रूप से है जिसमें समाज/लाभार्थीयों द्वारा शासन के कार्यों की परीक्षा की जाती है।

परिचय सटीक हो सकते है

आदर्श और वास्तविकता के अंतर को कम करने मे सहायता

⇒ विधिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रावधानो के आधार पर होती है जबकि सामाजिक लेखापरीक्षा मे लक्ष्यों की प्राप्ति को आधार बनाया जाता है।

⇒ यह लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है और शासन कार्य मूल्यांकन मे आमजन की भागीदारी को सुनिश्चित (प्रत्यक्ष रूप से) कर वास्तविकता को बढावा देती है।

⇒ यह अधिकारीयों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का कार्य

योजनाओं की स्थिति धरातल पर क्या है कि वास्तविक जानकारी देने मे सहयोग कर सकती है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

करती है। आदि।

संस्थानिकरण में बाधाएँ

- इसके संदर्भ में जनता में जागरूकता, समझ, तकनीकी ज्ञान का अभाव होता।
- केन्द्र स्तर पर मनरेगा के अलावा अन्य कार्यों में विधिक संरक्षण/ प्रावधानों का अभाव।
- इस हेतु प्रभावी प्रक्रिया, कार्यप्रणाली का निर्मित न किया जाना। आदि।

सामाजिक लेखापरीक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाने हेतु RTI, नागरिक अधिकार पत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-2 नागरिक संबंधी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों हेतु विधिक प्रावधान किए जाएं। मेघालय के समान अन्य राज्य भी इस दिशा में बढ़ सकते हैं।

5

आवश्यक बिन्दुओं की उपस्थिति है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

10. प्रस्तावना न तो निषेध या सीमा का स्रोत है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The Preamble is neither a source of prohibition nor limitation. Discuss in the context of various judgments of the Supreme Court. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। यह संविधान के परिचय पत्र के समान है। — good

प्रस्तावना की भूमिका

- यह शासन के स्रोत अर्थात हम भारत के लोग यानि जन संप्रभुता को बताती है।
- यह शासन के ध्येय अर्थात समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा संरक्षण को स्पष्ट करती है।
- यह शासन के स्वरूप अर्थात ~~अर्थात~~ लोकतंत्रात्मक, संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य को बताती है।
- यह संविधान के लागू होने की तिथि को बताती है - 26/11/1949

यद्यपि प्रस्तावना न तो विधायी शक्तियों का स्रोत है और

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रश्न का प्रथम भाग की व्याख्या अच्छी प्रकार से की गयी है।

न ही सीमा का कार्य करती है। इसकी उपयोगिता विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं में विरोधाभास होने पर समुचित व्याख्या तक पहुँचने में सहायता करता है।

IInd part में प्रश्न के अनुसार S.C. के निर्णयों जैसे- केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स आदि केस के बारे चर्चा करनी है।

सरकार द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द होते हुए भी आर्थिक सुधारों को लागू करने को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त माना गया।

'मूल संरचना के सिद्धांत' में तत्वों के अंगीकरण में प्रस्तावना के अधिकांश तत्वों को समाहित न्यायपालिका द्वारा किया गया है। जैसे- पंथनिरपेक्षता, संसदीय शासन, आदि।

निष्कर्ष अच्छा

इस प्रकार प्रस्तावना उस प्रकाशपुंज के समान है जो शासन को उसके ध्येयों, प्रकृति, स्रोत के बारे में प्रकाशमान कर न्यायिक निर्वचन में सहायता करती है।

3.5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

11. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के आलोक में इन संशोधनों के महत्त्व की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the significance of 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts with some of their important provisions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान के 'अनु०-40' में प्रावधानित 'स्थानीय स्वशासन' को अमली-जामा पहनाने हेतु 73वें तथा 74वें सं० संशो० द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। — Good

73वें तथा 74वें सं० संशो० अधि० के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं-

⇒ स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

⇒ ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय संस्थाओं तथा नगरीय स्तर पर तीन प्रकार की संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया।

⇒ अनुसूची-11 (29 विषय) तथा अनुसूची-12 (18 विषय) के अनुरूप क्रमशः पंचायतों एवं नगरीय संस्थाओं को कार्य हस्तांतरण की अपेक्षा राज्यों से की गई।

⇒ राज्य वित्त आयोग तथा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना इन संस्थाओं को वित्तीय संसाधन अंतरण हेतु सुझाव देने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनाव संचालन हेतु की गई ।

⇒ SC, ST की जनसंख्या अनुरूप तथा महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया।

⇒ पंचायतों और नगरीय संस्थाओं में समन्वय हेतु 'जिला योजना समिति'; महानगरीय योजना समिति की स्थापना का प्रावधान ।

⇒ स्वशासन संस्थाओं की कार्यावधि 5 वर्ष रखी गई ।

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं व आयामों का समावेशन

महत्वपूर्ण प्रावधानों का महत्व

- स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को लेकर राज्यों के मध्य एकरूपता का समावेश किया
- SC, ST और महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व ~~प्रदान कर~~ प्रदान कर नेतृत्वशीलता को बढ़ावा दिया । जैसे - फातिमा बी. (आंध्र प्रदेश) को UN पुरस्कार
- ग्राम/वार्ड सभाओं को पंचायतों की कार्य पर निगरानी अधिकार प्रदान कर लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण किया ।
- गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को यथार्थ रूप में परिणत करने का प्रयास किया ।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अनावश्यक विस्तार से बचें

चुनौतियाँ

- राज्यों द्वारा स्वशासन संस्थाओं को 3F's (कार्य, कार्मिक, कोष) का अंतरण पूर्णतः न किया जाना ।
- सरपंच पति जैसी प्रथाओं द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का मजाक उड़ाया जाना ।
- स्थानीय स्तरों पर संसाधन सृजन का स्तर कम होना जिससे वित्तीय स्वायत्तता का अभाव रहना और अंतरण पर निर्भरता रहना ।
- राज्यों द्वारा इन संस्थाओं के कार्यकरण में प्रशासनिक हस्तक्षेप अत्यधिक किया जाना । आदि ।

निष्कर्ष संदर्भ के अनुसार और सटीक दिया जा सकता है

स्थानीय स्वशासन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापित करने का साधन है, इसीलिए इन संस्थाओं को कार्य, कार्मिक, कोष हस्तांतरण के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के साथ ही सामाजिक लेखा परीक्षा, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार आदि के माध्यम से लोक संप्रभुता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

6.5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? संसदीय विशेषाधिकारों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। 'संसदीय विशेषाधिकारों' के कानूनी संहिताकरण के अभाव के कारण बताइये। इस समस्या के समाधान के उपायों का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द) 15

What are parliamentary privileges? Explain the significance of Parliamentary privileges. Give reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. Mention measures to address this problem. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसदीय विशेषाधिकारों से तात्पर्य विधायिका के सदस्यों, विधायी ~~सदस्यों~~ समितियों को उनके स्वतंत्र कार्यकरण हेतु प्राप्त अधिकारों से है। इनके अभाव में उनके द्वारा विधायी कार्यों के निर्वहन में निष्पक्षता, स्वतंत्रता आदि की प्राप्ति बाधित हो सकती है।

- परिचय अच्छा है।

संसदीय विशेषाधिकारों का महत्व
- अन्य देशों में भी जैसे- ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में ये प्रावधान लागू है।
- विधायिका सदस्यों, समितियों की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु।
- 'संसदीय संप्रभुता' को बनाए रखने हेतु आवश्यक है।
- बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक है।

महत्वपूर्ण बिन्दुओं व आयामों का समावेशन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

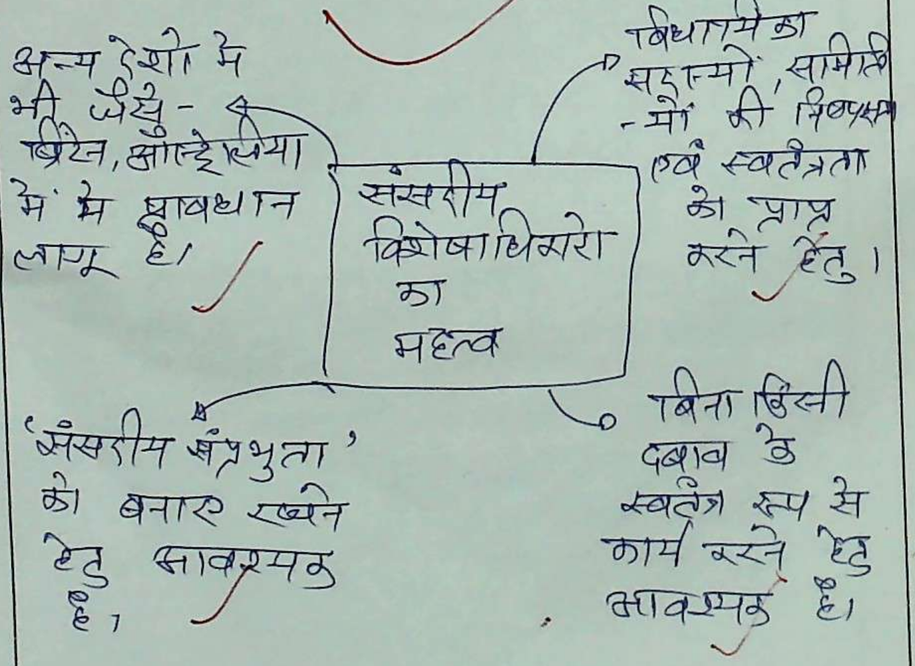

कानूनी संहिताकरण के अभाव के कारण
- औपनिवेशिक शासन के समय में ही संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना होने से ये परंपरा के रूप में भारतीय संसदीय प्रणाली का भाग बने हुए हैं।
- इनको लेकर न्यायिक व्याख्याएं भी विद्यमान हैं जिससे में संहिताकरण की आवश्यकता प्रतीत न होना।
- बहुत अधिक दुरुपयोग के मामले ~~सामने~~ सामने न आने से भी संहिताकरण की दिशा में न बढ़ा जाना।
- विशेषाधिकार संबंधी उल्लंघन हेतु संसदीय समितियों की स्थापना ~~से~~ के कारण ~~इस~~ आवश्यकता प्रतीत न होना।

संसदीय विशेषाधिकार स्रोत
- सदन के नियम व प्रक्रिया
- संविधान के अनु०-105 और 194
- ब्रिटिश संसदीय परंपराएं
- न्यायिक निर्वचन एवं व्याख्याएं

उल्लंघन के मामले
- कर्नाटक विधानसभा द्वारा पत्रकारों को सजा दिया जाना। आदि।

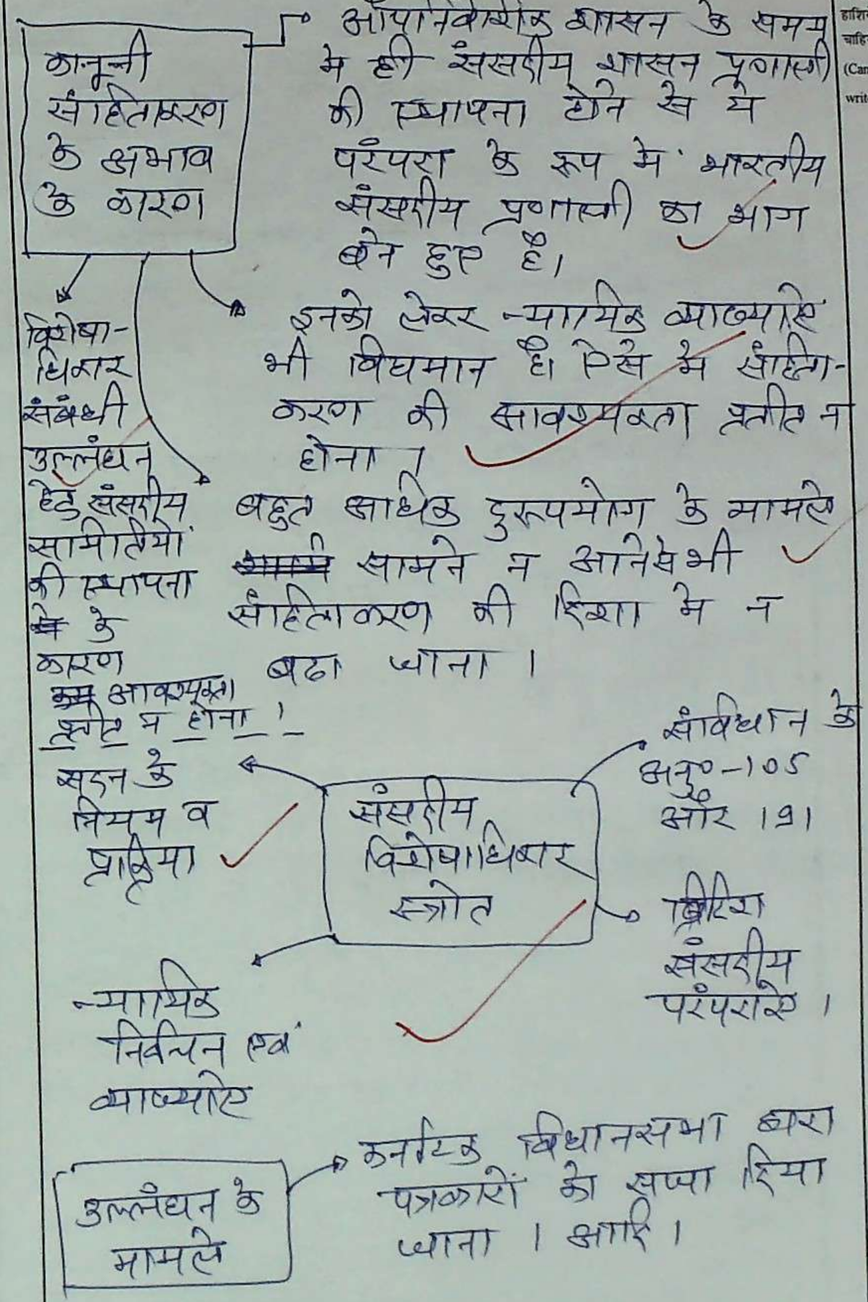

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

समाधान के उपाय

- संसद को इन विशेषाधिकारों को लेकर एक स्पष्ट संहिता अथवा कानून का निर्माण कर पारदर्शिता, स्वायत्तता, जवाबदेहिता को बढ़ावा देना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों की न्यायिक व्याख्याओं को संबंधित अनुच्छेदों में संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया जाए।
- विधायी सदस्यों और समितियों को इस संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
- उल्लंघन के मामलों के निपटान में निष्पक्षता हेतु 'अनु० 323(B)' के तहत ट्रिब्यूनल स्थापना की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए। आदि,

भारतीय संविधान 'सीमित शासन' की स्थापना करता है अतः विशेषाधिकारों का संहिताकरण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु सम्मिलित है

7.5

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. भारत में न्यायिक समीक्षा के महत्त्व की व्याख्या कीजिये। भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान में प्रमुख प्रावधानों के साथ न्यायिक समीक्षा के दायरे पर चर्चा कीजिये? (250 शब्द) 15

Explain the significance of judicial review in India. Discuss scope of judicial review with key provisions in the constitution with respect to judicial review in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

परिचय अच्छा है

न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों के साथ-2 स्वयं अपने पूर्ववर्ती निर्णयों की समीक्षा करने के अधिकार से है। लोकतंत्र को जीवंत व गतिमान बनाए रखने हेतु आधुनिक संविधानों में इसका प्रावधान एक अवश्यंभावी शर्त है।

– निर्णयों की वैधता की जांच

न्यायिक समीक्षा का महत्व

- शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप है।
- सीमित शासन स्थापना हेतु आवश्यक शर्त है।
- संविधान सर्वोच्चता को बनाए रखने का साधन।
- कार्यपालिका, विधायिका को निरंकुश बनने से रोकने का साधन है।
- 'विधि के शासन' को बनाए रखने हेतु आवश्यक है।
- संविधान अनुरूप लोक संप्रभुता, अधिकारों की प्राप्ति का साधन है।
- 'संतुलन एवं अवरोध' सिद्धांत अनुरूप है।

आवश्यक बिन्दुओं का समावेशन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायिक समीक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनु॰-13 → कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत होगी वह उस सीमा तक 'शून्य व रिक्त' होगी
- अनु॰-32 → मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता।
- अनु॰-136 → विशेष अनुमति याचिका का प्रावधान।
- अनु॰-141/142 → 'पूर्ण न्याय' हेतु सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ।
- अनु॰-226 → उच्च न्यायालयों की समीक्षा करने की शक्ति जो मूल अधिकार व अन्य विधिक/कार्यपालिका मामलों तक विस्तृत है।
- मूल संरचना का सिद्धांत → कोई भी विधि यदि संविधान की मूलभूत विशेषताओं का उल्लंघन करती है तो विधिशून्य होगी।

अनु॰ के साथ प्रावधान की व्याख्या प्रभावशील है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायिक समीक्षा का दायरा

1973 से पूर्व

⇒ केवल संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर ही।

⇒ 9th अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित विधानों की समीक्षा नहीं किया जा सकता।

शक्ति पृथक्करण।

1973 के पश्चात्

⇒ संविधान के प्रावधान तथा मूल संरचना का उल्लंघन होने पर समीक्षा संभव

⇒ 9th अनुसूची विधानों की भी ~~[illegible]~~ 'कैथ परीक्षण' के उल्लंघन अनुसार। (मूल अधिकार एवं मूल संरचना)

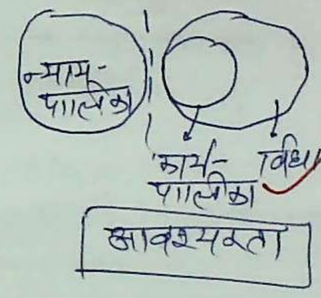

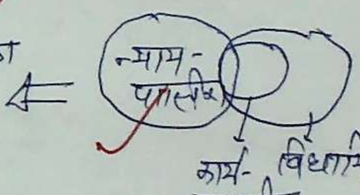

संविधान सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए 'न्यायिक समीक्षा' को 'न्यायिक अतिसक्रियता' बनने से रोका जाना चाहिए तथा 'शक्ति पृथक्करण' एवं 'संतुलन व अवरोध' का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।

प्रस्तुतीकरण प्रभावशील है, विषय-वस्तु अच्छी है।

7.5

Good

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

14. राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डालिये। 'केंद्र के एजेंट' के रूप में राज्यपाल की भूमिका की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Highlight the role of governor as the constitutional head of the state. Critically examine the governor's role as 'an agent of the center'. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसे राज्य स्तर पर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है

संसदीय शासन प्रणाली

सटीक शब्द का प्रयोग करें

- नाममात्र की कार्यपालिका/ संवैधानिक प्रमुख → राज्यपाल
- वास्तविक कार्यपालिका → मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री

अनुच्छेद 154, 164, 161 200, 213

संवैधानिक प्रमुख के रूप मे राज्यपाल की भूमिका

- संविधान संरक्षण की शपथ लेने के कारण संविधान अनुसार राज्य शासन संचालन सुनिश्चित करना।
- 'अनु०-163' के अनुरूप मंत्रिपरिषद की सलाह अनुरूप कार्यकरण को संचालित करना।
- जहाँ विवेकाधिकार प्रयोग आवश्यकता हो वहाँ संविधान सम्मत प्रयोग करना। जैसे - अनु०-371, 5th अनुसूची, 6th अनुसूची

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

केंद्र का एजेंट एवं नकारात्मक छवि का निर्माण करता है - केन्द्र द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग
- पक्षपातपूर्ण विचारधारा
- कठपुतली शासक
- विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना
- शक्ति का दुरुपयोग

drishti | दृष्टि The Vision

- मंत्रिपरिषद के मार्गदर्शक, पथप्रदर्शक के रूप मे भूमिका निर्वहन करना।
- दलगत राजनीति से स्वयं को पृथक रखकर संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करना।

केन्द्र के एजेंट के रूप मे राज्यपाल की भूमिका

नकारात्मक भूमिका
- 'अनु०-356' के तहत विपक्षी दलों की सरकारों को बर्खास्त करने की रिपोर्ट भेजना। जैसे-1977 और 1980 मे।
- त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति मे केन्द्र के समर्थक दलों को अल्पमत मे होते हुए भी आमंत्रित करना। जैसे - महाराष्ट्र, कर्नाटक के मामले (विधानसभा

सकारात्मक
- केन्द्र और राज्यों के मध्य चेन/ कड़ी का कार्य करना।
- 'Union' रूप अनुरूप संघ सरकार का राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु
- केन्द्र के प्रशासनिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

- चुनाव परिणाम समय।
- विधेयकों का दलगत राजनीति से प्रेरित होकर अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति को आरक्षण।

केन्द्र एजेंट के रूप में भूमिका के कारण →
- राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत तक रहना।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, न कि निर्वाचन

किसी भी राज्य का राज्यपाल दो मुकुट पहनता है - एक संवैधानिक प्रमुख का और दूसरा केंद्र के एजेंट। इसीलिए दोनों भूमिकाओं के प्रभावी संचालन हेतु निम्न पर बल दिया जाना चाहिए-

⇒ सरकारिया, पुंछी आयोगों की सिफारिशों को अपनाया जाना।

⇒ विभिन्न न्यायिक निर्वचनों को संविधान संशोधन के माध्यम से संबंधित अनुच्छेदों में सम्मिलित करना। जैसे - S.R. बोम्मई वाद का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य संबंधित व्याख्याएँ। आदि

16

आगे की राह
- लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए निष्पक्ष विवेकपूर्ण निष्पक्ष व संविधान की भावना के अनुरूप
- संसद, विधानसभाओं की सहमति से एक आचार संहिता का निर्माण
- नियुक्ति प्रक्रिया ISPUC (?) से निर्धारित हो।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

15. क्या दल-बदल विरोधी कानून विचार विमर्श करने वाली संस्थाओं के तौर पर हमारी विधायिकाओं के कामकाज के लिये बाधा है, जो कि कार्यपालिका को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Is the anti-defection law detrimental to the functioning of our legislatures as deliberative bodies, which hold the executive accountable to the citizens? Critically analyze. (250 words) 15

सरकार के स्थायीत्व को सुनिश्चित करने और "आया राम, गया राम" जैसी भ्रष्ट प्रवृत्तियों को रोकने हेतु दल-बदल विरोधी कानून को अधिनियमित किया गया।

दल-बदल कानून के प्रावधान
- सदस्यता का त्याग
  - स्वेच्छा से.
  - यदि 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा अन्य दल की सदस्यता ग्रहण की जाती है।
- दल-बदल संबंधी मामलों में सदन का अध्यक्ष ट्रिब्यूनल के तौर पर कार्य करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। [हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है।]

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विचार-विमर्श

दल-बदल कानून का विचार-विमर्श वाली संस्था के रूप में विधानसभाओं की बाधा
- विधायकों को अपने विवेक अनुसार वोट देने से रोकता है।
- मतदाता और प्रतिनिधि के बीच जवाबदेही को कम करता है
- कुछ नेताओं द्वारा सदन में जो फैसले लिए जाते हैं निर्देशों के अनुसार विधायकों को वोट देना होता है।

आदि

दल-बदल कानून विधायी कामकाज के लिए बाधा है

- एक 'जनप्रतिनिधि' के स्थान पर विधायी सदस्यों को 'दल प्रतिनिधि' बनाता है।
- अनु॰-105/194 → सदन के सदस्यों को मुक्त रूप से अपनी बात कहने/रखने का अधिकार देते है। जबकि दल-बदल कानून उन्हें अपने दल के अनुरूप ही स्वयं को अभिव्यक्त करने हेतु बाध्य करता है।

दल-बदल कानून का प्रभाव

संवैधानिक प्रावधान	→	दल-बदल कानून पश्चात्
विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व अर्थात् लोक संप्रभुता।	→	कार्यपालिका का नियंत्रण विधायिका पर अर्थात् दलीय संप्रभुता

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दल-बदल कानून की आवश्यकता

- सरकार के स्थायित्व को बनाए रखने हेतु आवश्यक।
- विकास कार्यों में निरंतरता को बनाए रखने हेतु आवश्यक।
- सत्तावादी राजनीति की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने हेतु।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विधि-संगत माना गया।

आगे की राह
- व्हिप जारी करने की प्रथा केवल ऐसे मामलों में जहां सरकार खतरे में हो
- अयोग्यता को तार्किक बनाने की आवश्यकता

आदि

भारतीय संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः सरकार के स्थायित्व के साथ-2 कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसीलिए दल-बदल कानून में संशोधन कर उसको सरकार के स्थायित्व से संबंधित मामलों तक सीमित कर सदन सदस्यों की जनप्रतिनिधि की भूमिका और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अधिकार को संरक्षित किया जाना चाहिए। - Good

7.5

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

16. कुशल और पारदर्शी शासन के संघर्ष में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का पद अग्रणी भूमिका में रहा है। इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

The office of the CAG has been a vanguard in the fight for efficient and transparent governance. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

परिचय अच्छा है।

संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी क्रम में वित्तीय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के क्रम में 'नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)' नामक संवै. संस्था की स्थापना की गई है।

'CAG' की भूमिका

- केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्तीय लेखों की जाँच करता और यह सत्यापित करता कि व्यय विधायिका द्वारा स्वीकृत किए गए रूप में ही किए गए हैं।
- 'PSU' / लोक उपक्रमों से संबंधित खातों की ऑडिट करना।
- 'लोक लेखा समिति' के मित्र, मार्गदर्शक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समावेशन

- भ्रष्टाचार / घोटालों को सामने लाकर सरकारों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना तथा अन्य एवं भावी सरकारों के लिए निवारक का कार्य करता।
- सरकार की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत कर जनता को 'मत निर्माण' में सहायता करता।
- कुछ राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों के लेखों को बनाए रखना। आदि।

'CAG' की भूमिका में चुनौतियाँ

- 'CAG' का कार्य 'पोस्टमार्टम' के समान है। अर्थात उसका व्यय पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है।
- लोक लेखा समिति में सदस्यों के पास पर्याप्त तकनीकी योग्यता का अभाव होने से रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही का अभाव रह जाना।
- कुछ राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 'CAG' द्वारा लेखा बनाए रखना और लेखा परीक्षण दोनों भूमिकाओं को निभाये जाने से लेखा परीक्षण में निष्पक्षता को लेकर संदेह उत्पन्न

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

होना।

- कई बार रिपोर्ट में अस्पष्ट व्याख्याओं के कारण प्रासंगिकता पर प्रश्न उठना। ~~आदि~~ +
- संसद में रिपोर्ट पर पर्याप्त विचारण हेतु समय का अभाव होना। आदि।

'CAG' की कुशल एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था और निवारक प्रभाव उत्पन्न करने हेतु वर्तमान में भी महती भूमिका है। इस पर को और सशक्त बनाने हेतु निम्न पर बल दिया जा सकता है -

⇒ 'CAG' को 'AGI' के समान सदन में बोलने का अधिकार प्रदान किया जाए।

⇒ 'CAG' को अधिक तकनीकी सक्षम मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।

⇒ लोक लेखा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण व समुचित तकनीकी सहायकों, लाइब्रेरी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आदि।

महत्वपूर्ण आयामों तक पहुंच

7.5

प्रभावी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

17. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की 'नवीन विशेषताओं' के रूप में वर्णित किया गया है। चर्चा कीजिये कि उन्होंने विभिन्न विधानों के आधार के रूप में कैसे कार्य किया है? (250 शब्द) 15

Directive Principles of State Policy have been described as 'novel features' of the Indian Constitution. Discuss how they have served as a basis for various legislations? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को सरकारों के लिए नीतिगत मार्गदर्शनों के रूप में सम्मिलित किया ~~जा~~ गया। इन सिद्धांतों को शासन में मूलभूत मानते हुए सरकारों से अनुपालन की अपेक्षा की गई, अन्यथा सरकारों को ~~प्रत्येक~~ अगले चुनाव में इसका जवाब देना होगा - B.R. अंबेडकर।

परिचय प्रभावी

विभिन्न विधानों के आधार के रूप में नीति निदेशक सिद्धांत

- अनु॰ 40 → स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 73वें और 74वें संशोधनों, 'PESA' आदि से मूर्त रूप प्रदान किया जाना।
- अनु॰ - 46 → कमजोर और वंचित वर्गों के शोषण को, असमानता को कम करने हेतु राज्य प्रयास की अपेक्षा को आरक्षण प्रावधान, विभिन्न सकारात्मक विभेद कार्यवाहियों के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करना।

शैक्षणिक और आर्थिक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

आवश्यक बिन्दुओं का समावेश

- अनु०-39A → न्याय तक समान पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु लोक अदालत, ग्राम न्यायालय अधि०, नालसा जैसे प्रयास किये जाना।
  - बालकों की सुकुमार अवस्था के संरक्षण हेतु बालश्रम निषेध अधि०, किशोर न्याय अधिनियमन किया जाना।
- अनु०-41&42 → श्रमिकों हेतु श्रम संहिताओं का संहिताकरण किया गया है।
  - महिलाओं हेतु मातृत्व लाभ संशोधन अधि० 2017 का अधिनियमन।
- अनु०-43B → सहकारी समितियों को संवैधानिक स्वरूप हेतु 97वाँ संविधान संशोधन।
- अनु०-50 → कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण हेतु CrPC 1973 का अधिनियमन।
- अनु०-45 → शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार का

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

महत्वपूर्ण आयाम शामिल

7.5

दर्जा दिया जाना। आदि।

इस प्रकार नीति निदेशक सिद्धांतों को विभिन्न सरकारों द्वारा केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में बढ़ा गया है। इस संदर्भ में विधिक के साथ-2 योजनाओं, कार्यक्रमों को निर्मित कर 'सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र' को सुव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। 'मिनर्वा मिल्स वाद' में कहा गया कि भारतीय संविधान की नींव मूल अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर टिकी है। अनु०-39(B), (C) को मूल अधिकारों पर वरीयता को बनाए रखा गया।

वहीं कुछ प्रावधानों जैसे- अनु०-44 के समान नागरिक संहिता आदि के संदर्भ में प्रभावी कदमों का अभाव दिखाई पड़ता है।

नीति निदेशक तत्व मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सरकारों को उचित दिशा में बढ़ने हेतु निर्देशित करते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में दबाव समूहों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically analyze the role of pressure groups in influencing the policies of the government. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि[खना] चाहिये। (Candidate must [not] write on this marg[in])

परिचय अच्छा है

समान हितों के आधार पर गठित समूहों को दबाव समूह कहते है क्योंकि अपने हितों की पूर्ति हेतु ये सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते है।

दबाव समूह के उदाहरण
- लेबर यूनियन।
- किसान संगठन।
- विभिन्न जातीय, धार्मिक संगठन। आदि

दबाव समूहों की भूमिका

सकारात्मक → नीति क्रियान्वयन को यथार्थ रूप प्रदान करने में सहायक
- ये सरकार और जनता के मध्य चेन / कड़ी का कार्य करते है।
- यह समूह जनता को सरकार के कार्यों के संदर्भ में जागरूक करते है।
- यह समूह अपने हितों के अनुरूप विधि, नीति निर्माण, कार्यक्रम निर्माण आदि हेतु सरकार से

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

से मांग करते है। इससे यह समूह नीतिगत / विधिक कार्यशीलता को सुनिश्चित करते है।

बिन्दु प्रभावशील

- लोकतंत्र का मूल तत्व ही सरकार की लोक अर्थात् जनता के प्रति जवाबदेयता सुनिश्चित करना है। यह समूह प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन आदि के माध्यम से इसकी पूर्ति का प्रयास करते है। जैसे - किसान आंदोलन।
- यह समूह सरकार की निरंकुशता की तरफ बढ़ने से रोकने का कार्य / भूमिका भी निभाते है।

नकारात्मक भूमिका
- इनके द्वारा लॉबिंग जैसे गैर-विधिक साधनों का प्रयोग भी किया जाता है।
- विधायिका जो लोक संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है, की भूमिका के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करते है।
- इन समूहों का राजनीतिकरण हो

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

विश्लेषण अच्छा है

जाने से अनेक प्रदर्शन, हड़ताल आदि को दलीय/दलगत चश्मे से देखा जाना।
- विभिन्न समूहों की परस्पर विरोधी माँगों के होने पर सरकार के समक्ष समस्या उत्पन्न होती है।
- संकीर्ण माँगों का किया जाना।
- कई अवसरों पर हिंसक और गैर-विधिक साधनों को अपनाया जाना। आदि।

8

सरकार की नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में दबाव समूहों की प्रभावी भूमिका है। आवश्यकता है कि प्री-लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, नीति समीक्षा आदि में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट व मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपाटियों को स्थापित किया जाए।

प्रभावी

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

19. भारत में हाल ही में शुरू किये गए कुछ चुनावी सुधार कौन-से हैं? जहाँ तक चुनावी सुधारों का संबंध है, आपके अनुसार किन मुद्दों का समाधान किया जाना बाकी है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

किसी भी लोकतंत्र को जीवंत व गतिशील बनाए रखने हेतु चुनाव सुधारों की व्यापक महत्ता है।

भूमिका प्रभावी

हाल में किए गए चुनाव सुधार

- 'NOTA' का प्रयोग → मतदाताओं को असहमति का अधिकार प्रदान किया जाना। कुछ राज्यों जैसे-महाराष्ट्र द्वारा इसको विधिक स्वरूप प्रदान किया जाना। हालाँकि 'MP/MLA' चुनावों में अभी 'NOTA' के सर्वाधिक मत होने पर पुनर्निर्वाचन का अभाव है।
- 'EVM' और 'VVPAT' [illegible] मशीन का प्रयोग :- मतदाताओं को अपने मत को सत्यापित करने और राजनीतिक प्रताड़ना से बचाने में सहायता हेतु।
- चुनावी बॉण्ड योजना → चुनावी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

विफय-वस्तु अच्छी है।

वित्तीयन में पारदर्शीता का बढ़ावा देने हेतु। हालाँकि आधिकांश धन सत्ता पक्ष को ही प्राप्त होने से निष्पक्षता, पारदर्शीता को लेकर संशय विद्यमान होना। चुनाव आयोग द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया गया।

- जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति की घोषणा, अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरणों की सूचना उम्मीदवार बनते समय प्रदान करना ताकि मतदाता को 'मत निर्माण' में सहायता हो सके। हालाँकि आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसदों/विधायकों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
- दो साल से अधिक सजा होने पर विधायी सदस्यता का समापन होना। आदि।

मुद्दे जिनका समाधान आवश्यक है :-

⇒ चुनाव आयोग की निष्पक्षता को संरक्षित करने हेतु विधि का

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

आवश्यक बिन्दुओं और आयामों का समावेशन

निर्माण करना और चुनाव आयोग अध्यक्ष व सदस्यों के पश्चात्वर्ती सरकारी नियोजन पर रोक लगाना।

⇒ सांसदों/विधायकों के वादों पर निर्णयन हेतु ट्रिब्यूनल स्थापना करना।

⇒ चुनाव आयोग सदस्यों को भी अध्यक्ष के समान संरक्षण प्रदान करना।

⇒ 'मॉडल कोड ऑफ इलेक्शन'/चुनावी आचार संहिता को विधिक रूप प्रदान कर चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान अधिक सशक्त किया जाए।

अच्छा प्रयास है

⇒ 'एक देश, एक चुनाव' के साथ-2 'एक उम्मीदवार, एक सीट' की धारणा की दिशा में भी बढ़ा जाए।

⇒ चुनावी वित्तीयन में पारदर्शीता हेतु पिछले आम चुनावों में मत प्रतिशत अनुरूप वित्त आवंटन हेतु एक 'चुनावी कोष' का निर्माण करना जिसे चुनावी बांड, नागरिक सहायता आदि से प्राप्त धन हो। आदि।

8

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

20. अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये। इस संशोधन प्रक्रिया की अक्सर आलोचना क्यों की जाती है? (250 शब्द) 15

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why has this amendment procedure been often criticized? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

परिचय अच्छा

भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसीलिए 'अनु०-368' मे इसको जीवंत बनाए रखने हेतु संशोधन प्रावधान व प्रक्रिया दोनो का वर्णन किया गया है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

- कुछ प्रावधान संसद के दोनो सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते है जैसे - 5th अनुसूची, 6th अनुसूची, अनु०-3,4 के तहत राज्य पुनर्गठन आदि।
- कुछ प्रावधानों मे संशोधन हेतु संसद के दोनो सदनो के 'विशेष बहुमत' अर्थात् कुल का बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वालो का 2/3 बहुमत। जैसे - मूल अधिकार।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- कुछ प्रावधानो हेतु संसद के दोनो सदनों का विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधायी समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमे संघात्मक शासन से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। जैसे- राष्ट्रपति का चुनाव, 7th अनुसूची का विषय आदि।

विषय-वस्तु अच्छी

उपरोक्त के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाता है। 24वे सं० संशो० के तहत राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना बाध्यकर है। अर्थात् संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ मे राष्ट्रपति के पास कोई 'वीटो शक्ति' नहीं है।

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना के कारण

- राज्यों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया मे पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है जबकि एकल संविधान होने के कारण वह भी सभी

Copyright – Drishti The Vision Foundation

सभी आवश्यक बिन्दुओं का समावेशन

8

संशोधनों से प्रभावित होते है

- केंद्र और आधे से अधिक राज्यों में समान दल सरकार होने पर संविधान में व्यापक बदलाव के प्रयास किए जा सकते है, जैसे-42वें संशोधन द्वारा किए गए।
- राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर करता है। राज्य पुनर्गठन साधारण बहुमत से किया जा सकने के कारण।
- राष्ट्रपति को कोई वीटो शक्ति न होना। ऐसे में व्यापक बहुमत वाली सरकारें निरंकुश रूप में व्यापक बदलाव कर सकती है आदि।

भारतीय संविधान संघात्मक शासन के 'संघ' रूप की स्थापना करता है जिसके तहत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना अवश्यंभावी है ताकि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 'मूल संरचना' का सिद्धांत संशोधन प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु मार्गदर्शक का कार्य करता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation